

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार -2016
लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:- रामलाल पुत्र दुर्गा जाति मीणा निवासी कनवाडा तहसील देवली

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:-तहसीलदार दूनी जिला टोंक

न्यायालय अति० कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:-45/2016

उपस्थित:-श्री विजय कुमार पारीक, अभि० अपीलाण्ट/श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभि० रेस्पों

अध्यक्ष का नाम :- श्री लोकेश कुमार गौतम, अति० जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम :- अभिभाषक श्री प्रदीप कुमारसाहू

निर्णय

दिनांक 13.05.2016

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:-

अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोड़ने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 14.12.2015 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न कर नायब तहसीलदार नासिरदा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है तो सी०आर०पी०सी० की धारा 182 के तहत कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

राजपारीक

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

राजकीय

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय परोकार

↓

अध्यक्ष

राजस्व जिला कलेक्टर
अति० जिला कलेक्टर
टोंक

सदस्य
अधिवक्ता

प्रदीप

